

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/एल०-165/2023-

/स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० अरफा नाजमीन, दन्त चिकित्सक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नाथनगर, भागलपुर के दिनांक-22.09.2022 से 17.02.2023 तक उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1637(25), दिनांक-07.08.2025 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-230, 232, 234 एवं 180 के आलोक में निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है :-

(i)	दिनांक-22.09.2022 से 24.11.2022 तक	- कुल-64 (चौसठ) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में।
(ii)	दिनांक-25.11.2022 से 09.12.2022 तक	- कुल-15 (पन्द्रह) दिन रूपान्तरित अवकाश के रूप में (30 दिन अर्द्धवैतनिक अवकाश के बदले)।
(iii)	दिनांक-10.12.2022 से 17.02.2023 तक	- कुल-70 (सत्तर) दिन असाधारण अवकाश के रूप में।

2. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव।

सं०सं०-2/एल०-165/2023-

21/8/25

पटना, दिनांक 21/9/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भागलपुर/ चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नाथनगर, भागलपुर/ जिला स्वास्थ्य पदाधिकारी, भागलपुर/ डा० अरफा नाजमीन, दन्त चिकित्सक, प्राथमिक स्वास्थ्य नाथनगर, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

W. P. K. 21/9/26

सरकार के उप सचिव।

6